DOI: 10.51220/hjssh.v10i1.10

Himalayan J. Soc Sci.& Humanities (ISSN-0975-9891): 2015, Vol 10, pp 89-97

समकालीन फारसी स्त्रोतों के परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल–कुमाऊँ के राजाओं की शासनावधियों एवं कालानुक्रम का पुनरावलोकन (सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी के संदर्भ में)

रेहाना ज़ैदी एव एस0ए0एच0ज़ैदी
इतिहास विभाग,हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर पौड़ी गढ़वाल

Received : 23.11.2015 **Accepted: 14.12.2015**

ABSTRACT

सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी के गढ़वाल एवं कुमाऊँ के इतिहास के अध्ययन के लिए इन राज्यों के राजाओं की शासन करने की अवधियों एवं उनके कालानुक्रम का वस्तुतः निर्धारण किया जाना अतिआवश्यक है। परन्तु सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी के दौरान इन राज्यों के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले ऐसे ग्रन्थों का अभाव है,जिन्हें समकालीन इतिहास ग्रन्थ कहा जा सके। अतः पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों ने यत्र–तत्र बिखरे हुए साक्ष्यों को एकत्र कर इन राज्यों के इतिहास लेखन का दुष्कर कार्य किया है। यही कारण है कि इस पर्वतीय अंचल के राजाओं की शासन करने की अवधियों एवं उनके कालानुक्रम के निर्धारण के सम्बन्ध में इन इतिहास लेखकों के अभिमतों में भिन्नता तथा विरोधाभास है।

इन राजाओं के द्वारा शासन करने की अवधियों तथा उनके कालानुक्रम का विधिवत तथा शोधपरक निर्धारण न होने के कारण न केवल इन राज्यों के आन्तरिक इतिहास,बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ इनके सम्बन्धों का वस्तुतः अध्ययन –विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इन राज्यों के इतिहास लेखन में अनेक ऐसी किंवदतियों एवं काल्पनिक नायकों और काल्पनिक घटनाओं का समावेश हो गया है, जिनका कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक आधार नहीं है। सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी के गढ़वाल–कुमाऊँ के राजाओं की शासनावधियों एवं कालानुक्रम के निर्धारण में समकालीन फारसी वृत्तान्तकारों के ग्रन्थों तथा समकालीन फारसी दस्तावेज़ों में अनेक ऐसी सूचनायें–तथ्य उपलब्ध हैं, जो विषयगत विवेचना में अति उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में समकालीन फारसी स्त्रोतों के परिप्रेक्ष्य में गढ़वाल–कुमाऊँ के राजाओं की शासनावधियों एवं कालानुक्रम का पुनरावलोकन करने का प्रयास किया गया है।

ज्ञम्ॅल्वतकेः फारसी स्त्रोत,गढ़वाल–कुमाऊँ के राजा, शासनावधियाँ–कालानुक्रम निर्धारण, पुनरावलोकन।

I

गढ़वाल

गढ़वाल के राजा महिपतिशाह के प्रभुत्वकाल के निर्धारण के सम्बन्ध में स्थानीय इतिहास ग्रन्थों तथा कतिपय शोध आलेखों में ऐसे तथ्य एवं निष्कर्ष विद्यमान हैं, जिनका पुनरोवलोकन किया जाना आवश्यक है। हरिकृष्ण रतूड़ी (गढ़वाल का इतिहास) की धारणा है कि महिपतिशाह ने सन् 1629 से 1646 तक गढ़वाल पर शासन किया।[1] आभा सिंह ने महिपतिशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1625–1646 माना है और उसे कुमाऊँ के राजा लक्ष्मीचन्द (सन् 1597–1621) का समकालीन भी माना है।[2] शिवप्रसाद डबराल का अभिमत है कि महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1631 से 1635 तक रहा।[3] समकालीन मुस्लिम वृत्तांतकारों के विवरणों से ज्ञात होता है कि जब सन् 1635 में सम्राट शाहजहाँ ने गढ़वाल अधीनीकरण का (प्रथम) अभियान आरम्भ किया,उस समय गढ़वाल पर एक संरक्षिका शासिका (रानी कर्णावती) शासन कर रही थी।[4]

इस प्रकार गढ़वाल के राजा महिपतिशाह के शासनकाल की अवधि के विषय में परस्पर विरोधी विवरणों के कारण उसके प्रभुत्वकाल का वस्तुतः निर्धारण नहीं हो सका है। यहाँ कतिपय ताम्रपत्रों,अभिलेखों, साथ–साथ समकालीन मुस्लिम वृत्तांकारों के विवरणों तथा समसामयिक घटना क्रम आदि साक्ष्यों के आधार पर महिपतिशाह के प्रभुत्वकाल का निर्धारण करने का प्रयास किया गया है–

© SHARAD

(1)आभा सिंह का यह कथन मान्य नहीं हो सकता कि गढ़वाल का राजा महिपतिशाह कुमाऊँ के राजा लक्ष्मीचन्द (सन् 1597–1621) का समकालीन था,क्योंकि सन् 1591 से 1611 की अवधि में गढ़वाल का राजा मानशाह था।[5] हमारे इस कथन की पुष्टि मानशाह के सन्1592,1608 एवं 1611 के ताम्रपत्रों से भी होती है[6] और सन् 1608–1611 तक भारत भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटक विलियम फिंच के विवरणों से भी[7] ज्ञात होता है कि मानशाह के पश्चात सन् 1611 से सन् 1624 अथवा 1625 तक गढ़वाल का राजा श्यामशाह था। हमारे इस कथन की पुष्टि जहाँगीर की आत्मकथा से भी होती है। तुजुक–ए–जहाँगीरी से ज्ञात होता है कि सन् 1621 में गढ़वाल का राजा श्याम सिंह (शाह) मुग़ल सम्राट से भेंट करने दरबार में उपस्थित हुआ था। जहाँगीर ने उसे ख़िलअत एवं अन्य उपहार प्रदान किये थे।[8]

अतः आभा सिंह के इस कथन में संशोधन की आवश्यकता है कि गढ़वाल का राजा महिपतिशाह कुमाऊँ के राजा लक्ष्मीचन्द (1597–1621) का समकालीन था। वास्तव में गढ़वाल के राजा मानशाह एवं श्यामशाह कुमाऊँ के राजा लक्ष्मीचन्द के समकालीन थे न कि महिपतिशाह के समकालीन समकालीन महिपतिशाह का शासनकाल तो सन् 1624 अथवा 1625 में आरम्भ हुआ था और लक्ष्मीचन्द की मृत्यु महिपतिशाह के राज्यारोहण से तीन –चार वर्ष पूर्व सन् 1621 में ही हो चुकी थी।[9]

(2)महिपतिशाह के शासनकाल का जो निर्धारण शिवप्रसाद डबराल,कृष्ण कुमार, रतूड़ी एवं आभा सिंह ने किया है, उसका भी पुनरावलोकन आवश्यक है। डबराल ने महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1631 से 1635 माना ह। कृष्णकुमार ने महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1629–1646 निर्धारित किया है।[10] रतूड़ी ने महिपतिशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1629–1646 माना है।[11] आभा सिंह ने महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1629–1646 स्वीकार किया है।[12]

इस प्रकार महिपतिशाह का शासनकाल आरम्भ होने के विषय में तीन मत हैं–सन् 1625,1629 एवं 1631,महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1625 में आरम्भ हुआ, इस मत से हम सहमत हैं (कारण की विवेचना आगे की जायेगी), परन्तु उसके शासनकाल का आरम्भ सन् 1629 अथवा 1631 में होना स्वीकार्य नहीं है। चूँकि सन्1627–1635 की अवधि में जो राजा गढ़वाल में सत्तासीन था, उसके उग्र व्यवहार के कारण ही सन् 1635 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, अतः उक्त अवधि (सन्1627–1635) में गढ़वाल राजा कौन था और महिपतिशाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाये? यह विषय महत्वपूर्ण है, जिसके विश्लेषण में समकालीन/निकट समकालीन मुस्लिम वृत्तांकारों के विवरण भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

शाहजहाँनामा एवं मआसिर–उल–उमरा से ज्ञात होता है कि शाहजहाँ ने अपने राज्यारोहण का उत्सव बड़ी शान से मनाने का निश्चय किया। अतः सभी अधीनस्थ राजाओं, ज़मींदारों,प्रान्तपतियों, मनसबदारों एवं उच्चाधिकारियों आदि को ख़िलअतें एवं फतेहनामे भेजकर इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कहा गया। इस अवसर पर पुराने ज़मींदारों एवं मनसबदारों की उनके पदों पर पुष्टि की जानी थी और नये मनसब एवं नयी जागीरें भी प्रदान की जानी थी।[13]

अन्य ज़मींदारों की भांति ख़िलअत सहित एक फतेहनामा श्रीनगर(गढ़वाल) के राजा को भी भेजा गया। मआसिर–उल–उमरा का लेखक लिखता है कि राजधानी आगरा के उत्तर में पर्वतीय प्रदेश में स्थित श्रीनगर (गढ़वाल) का राजा अपने दृढ़ दुर्गों (गढ़ों) और पर्वतीय प्रदश की दुर्गमता पर घमण्डतापूर्वक विश्वास करके मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के राज्यारोहण के उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ था।[14] सम्भवतः इस अवसर पर मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की ओर से भेजी गयी ख़िलअत और ख़िलअत लेकर जाने वाले सन्देशवाहक का भी गढ़वाल के राजा ने तिरस्कार किया था।[15] रतूड़ी एवं डबराल के अनुसार शाहजहाँ के राज्यारोहण के समय (14 फरवरी,सन्1628)गढ़वाल का राजा श्यामशाह था।[16]

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्यामसिंह (श्यामशाह) जैसे शान्तिप्रिय राजा,जिसने जहाँगीर के दरबार में उपस्थित होकर मुग़ल सम्राट के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये थे और जिसने अपने पड़ोसी राज्यों–सिरमौर एवं कुमाऊँ के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था,[17] उसने शाहजहाँ के निमंत्रण को ठुकराकर मुग़ल सम्राट के साथ शत्रुता क्यों उत्पन्न की? गढ़वाल के राजा श्यामशाह के सन्तुलित व्यक्तित्व, मधुर स्वाभाव एव मैत्रीपूर्ण नीति को देखते हुए श्यामशाह द्वारा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के प्रति अपनायी गयी ऐसी उग्रता एवं अहंकारपूर्ण नीति की आशा नहीं की जा सकती हैं। अतः प्रश्न उठता है कि क्या उस समय गढ़वाल का राजा श्यामशाह न हो कर कोई और था,लेकिन कौन? ऐसे अनेक प्रबल साक्ष्य उपलब्ध है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के निमंत्रण एवं उसके द्वारा भेजी गई ख़िलअत को ठुकराने वाला गढ़वाल का राजा निःसंदेह महिपतिशाह था।

सर्वप्रथम हम अपने उक्त कथन के पक्ष में एक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभिलेखीय साक्ष्य तत्कालीन गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर में केशवराय(केशोराइ) मठ की प्राचीर

पर उत्कीर्ण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिलाभिलेख है। यह शिलाभिलेख इस प्रकार है– ".....श्री साके 1547 संवत 1682 माघ मासे दिन 4 गते राज वैस्यों यो कैसोरा ..... को मठ महिपतिशाह ।[18] वर्तमान समय में 'कोमठ', 'म' के आगे का लेख स्पष्ट नहीं है,फिर भी महिपतिशाही के नाम का प्रथम अक्षर 'म' पढ़ा जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि संवत 1682 अर्थात सन् 1625 का यह शिलाभिलेख गढ़वाल के राजा महिपतिशाह था।

लगभग 100 वर्ष पूर्व एटकिन्सन द्वारा लिखे गये हिमालयन डिस्ट्रिक्टस गज़ेटियर में भी महिपतिशाह के इस अभिलेख का उल्लेख प्राप्त होता है।[19] उक्त अभिलेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि श्यामशाह का शासनकाल सन् 1624 में समाप्त हो गया था और सन् 1625 में गढ़वाल का राजा महिपतिशाह था। गढ़वाल के इस राजा ने मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के सातवें वर्ष से कुछ समय पूर्व तक शासन किया था। अतः हमारे इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि शाहजहाँ के राज्यारोहण के समय (4 फरवरी,सन् 1628) गढ़वाल का राजा महिपतिशाह था।

उक्त अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त 'गढ़वाल का ऐतिहासिक वृत्तांत नामक एक हस्तलिखित अप्रकाशित पुस्तक के अध्ययन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि शाहजहाँ के राज्यरोहण के समय गढ़वाल का राजा महिपतिशाह था, न कि श्यामशाह। इस पुस्तक के आधार पर सालेतूर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सन् 1631 में गढ़वाल के जिस राजा की मृत्यु हुई थी, वह श्यामशाह नहीं,बल्कि महिपतिशाह था।[20]

अभिलेखीय एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के अतिरिक्त श्यामशाह एवं महिपतिशाह के व्यक्तित्व एवं उनके शासनकाल की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की उपेक्षा करने वाला गढ़वाल का राजा महिपतिशाह था। सत्ता प्राप्त करने के तुरन्त पश्चात उसने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये व्यापक योजना बनाई थी।[21] सौभाग्य से उसे गढ़वाल राज्य के अब तक के सवाधिक योग्य सेनानायकों–लोदी रिखोला ,माधोसिंह भण्डारी,बर्त्वाल बन्धु एवं मुगल सैन्य व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त बनवारी दास तुंवर और दोस्त बेग मुग़ल की सेवायें प्राप्त थी। महिपतिशाह ने एक स्थायी सैना का गठन किया था।इस सैना में बड़ी संख्या में मैदानी सैनिकों को भी भरती किया गया था। महिपतिशाह ने उग्र एवं आक्रमणकारी नीति अपनायी और दाबा,सिरमौर बुशेहर तथा कुमाऊँ पर आक्रमण किये थे।[22]

मौलाराम महिपतिशाह के विषय में लिखता है कि वह अपने सामने सभी को तिनके के समान समझता था। वह बिना बुरा–भला सोचे स्वेच्छा से कार्य करता था। वह किसी का भी परामर्श नहीं मानता था। उसके इस व्यवहार के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे।[23] दूसरी ओर श्यामशाह एक शान्ति प्रिय एवं सन्तुलित विचारों वाला व्यक्ति था।उसने मुगल सम्राट जहाँगीर के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये थे और अपने पड़ोसी राज्यों–सिरमौर तथा कुमाऊँ के साथ भी उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहा।[24] मौलाराम, श्यामशाह के विषय में लिखता है कि वह कभी अपना विवेक नहीं खोता था और सभी से मधुर वचन बोलता था।[25] श्यामशाह एवं महिपतिशाह के व्यक्तित्व एवं उनके शासनकाल की घटनाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन करने से भी यह स्पष्ट होता है कि शाहजहाँ के राज्यारोहण के उत्सव में सम्मिलित होने के निमन्त्रण की उपेक्षा एवं शाहजहाँ द्वारा भेजी गयी खिलअत का तिरस्कार महिपतिशाह ने ही किया था। उक्त विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्श पर पहुंचत है कि गढ़वाल के राजा महिपतिशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1625 में आरम्भ हो चुका था।

महिपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति किस वर्ष में हुई? इस विषय में मआसिर–उल–उमरा से ज्ञात होता है कि सन् 1634–1635 में शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया ।उस समय गढ़वाल पर एक संरक्षिका शासिका शासन कर रही थी।[26] इसका अर्थ यह हुआ कि सन् 1634 अथवा 1635 से पूर्व ही महिपतिशाह की मृत्यु हो चुकी थी। सम्भवतः गढ़वाल अधीनीकरण के लिए इस अवसर को उचित जानकर ही सन् 1634–1635 में शाहजहाँ ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था।

मआसिर–उल–उमरा के उक्त विवरण के अतिरिक्त पुर्तगाली मिशनरी फ्रांसिसको डे अजेवेदो ने 31 जुलाई सन् 1631 में तिब्बत जाते समय मार्ग में श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा के दाह संस्कार को देखा था,[27] क्या वह राजा महिपतिशाह था? यद्यपि अजेवेदो ने उस राजा का नाम अंकित नहीं किया है,परन्तु वह लिखता है कि उस राजा की मृत्यु के पश्चात उसके सात वर्षीय पुत्र को सिंहासन पर बैठाया गया।[28] महिपतिशाह की विधवा (राजमाता कर्णावती) ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन संचालन सम्भाला। शाहजहाँ के सन् 1634–1635 में गढ़वाल पर आक्रमण के समय एक संरक्षिका शासिका द्वारा शासन किये जाने का उल्लेख मआसिर–उल–उमरा के लेखक ने भी किया है।

© SHARAD

शूरवीर सिंह पंवार ने अपनी पुस्तक (गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज) में सन्1640का एक ताम्रपत्र प्रकाशित किया है,जिस पर महिपतिशाह के पुत्र पृथ्वीपतिशाह की मुद्रा (सील) अंकित है तथा साथ ही राजमाता कर्णावती का नाम भी अंकित है।[29]

उक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि महिपतिशाह का शासनकाल सन् 1625 में आरम्भ हुआ और शाहजहाँ के गढ़वाल अभियान (सन् 1634–1635) से पूर्व ही उसका शासनकाल (सम्भवतः सन् 1631 में) समाप्त हो गया। अतः रतूड़ी,कृष्णकुमार एवं आभा सिंह आदि विद्वानों के इस अभिमत में संशोधन की आवश्यकता है कि महिपतिशाह ने सन् 1646 तक गढ़वाल पर शासन किया।

गढ़वाल के राजा पृथ्वीपतिशाह एवं उसके पुत्र मेदिनीशाह के प्रभुत्वकाल के निर्धारण के संबध में भी कतिपय विद्वानों द्वारा प्रस्थापित अभिमत एवं निष्कर्ष तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते है। अतः उनके पुनरावलोकन की भी आवश्यकता है।

सर्वप्रथम पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल कब से आरम्भ हुआ? इस पर चर्चा करना उचित होगा। हार्डविक के अनुसार पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन्1609 में आरम्भ हुआ।[30] बैकेट ने भी हार्डविक का समर्थन करते हुए पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल का आरम्भ सन् 1609 में माना है।[31] रतूड़ी का मत है कि पृथ्वीपतिशाह की शासनावधि का आरम्भ सन् 1646 में हुआ।[32] राहुल सांकृत्यायन का भी अभिमत है कि पृथ्वीपतिशाह का प्रभुत्वकाल सन 1646 में आरम्भ हुआ।[33] कृष्णकुमार का भी यही अभिमत है।[34] आभा सिंह ने भी पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल का आरम्भ सन्__ 1646 माना है,[35] जबकि डबराल के अनुसार पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1640 में आरम्भ हो गया था।[36]

पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल के आरम्भ होने का जो वर्ष (सन् 1609) हार्डविक एवं बैकेट ने बताया है,वह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि गढ़वाल के राजा महिपतिशाह के शासनकाल के निर्धारण की विवेचना में स्पष्ट किया जा चुका है,पृथ्वीपतिशाह के पिता महिपतिशाह का शासनकल सन् 1631 अथवा सन् 1634 में समाप्त हो चुका था।

रतूड़ी, कृष्णकुमार एवं आभा सिंह ने पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल का आरम्भ सन् 1646 माना है, परन्तु चूँकि उन्होंने अपने अभिमत की पुष्टि के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अतः डबराल का यह कथन उचित माना जाना चाहिए कि पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1640 में आरम्भ हो गया था।

डबराल के उक्त कथन की पुष्टि हाटगांव (जिला चमोली) से प्राप्त ताम्रपत्र (संवत1697/सन् 1640) से होती है,जिस पर पृथ्वीपतिशाह की मुद्रा अंकित है और जिसे शूरवीर सिंह पंवार ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है।[37] सन्तन सिंह नेगी ने पृथ्वीपतिशाह का संवत 1699 (सन् 1642) का एक ताम्रपत्र (भक्तयाना,श्रीनगर गढ़वाल) खोज निकाला है।[38] उक्त दोनों अभिलेखीय साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1646 से पूर्व (सन् 1640में) आरम्भ हो चुका था। अतः उन विद्वानों के अभिमत में संशोधन की आवश्यकता है,जो पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल का आरम्भ सन् 1646 में मानते हैं।

पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति कब हुई? और उसका उत्तराधिकारी कौन था? इस विषय में भी स्थानीय इतिहास ग्रंथो में अनेक ऐसे अभिमत एवं धारणायें विद्यमान हैं, जिनका पुनरावलोकन आवश्यक है।

हार्डविक के अनुसार पृथ्वीपतिशाह ने सन् 1638 तक शासन किया।[39] बैकेट का मत है कि पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति सन् 1614 में हुई।[40] रतूड़ी आश्वस्त करते है कि पृथ्वीपतिशाह ने सन् 1676 तक शासन किया।[41] कृष्णकुमार की भी यही धारणा है।[42] आभा सिंह ने अपने आलेख में एक स्थान पर पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1646–1676 अंकित किया है[43] और दूसरे स्थान पर सन् 1646–1665।[44] विमल पोखरियाल ने पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1698 तक माना है,[45] जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सन्1660 तक।[46] भक्तदर्शन के अनुसार पृथ्वीपतिशाह ने सन् 1667 तक शासन किया।[47] डबराल का कथन है कि पृथ्वीपतिशाह ने सन् 1667 तक शासन किया। डबराल का कथन है कि पृथ्वीपतिशाह ने दो चरणों में शासन किया (प) सन् 1640–1660, (पप) सन् 1661 से 1664, डबराल का मत है कि पृथ्वीपतिशाह सन् 1668 तक जीवित रहा।[48]

हार्डविक एवं बैकेट द्वारा पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति क्रमशः सन् 1638 एवं 1614 में बताया जाना पूर्णतया असंगत है,क्योंकि जैसा कि मआसिर–उल–उमरा से स्पष्ट है,सन् 1635 में गढ़वाल में संरक्षिका शासिका शासन संचालन कर रही थी और पृथ्वीपतिशाह एक अव्यस्क बालक था। हार्डविक का कथन पूर्णतया अनैतिहासिक है, क्योंकि जैसा कि हम पहले विवेचना कर चुके है,पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन् 1640 में प्रारम्भ हुआ था, जबकि हार्डविक एवं बैकेट उसके शासनकाल के वस्तुतः आरम्भ होने से पूर्व ही (सन् 1638 एवं 1614 में) उसका शासनकाल समाप्त हो जाना बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन की यह धारणा भी असंगत है कि पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल सन्

1660 में समाप्त हो गया था, क्योंकि समकालीन मुस्लिम वृत्तांतकारों के विवरणों एवं सम्राट औरंगज़ेब द्वारा पृथ्वीपतिशाह के नाम जारी 16 जमादि–उल–अव्वल,1073 हिजरी (सन् 1662)के फरमान से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि सन् 1660 में पृथ्वीपतिशाह का शासनकाल समाप्त नहीं हुआ था।[49]

जिन विद्वानों ने पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति सन् 1667,1668,1676,1698 निर्धारित की है, उनके अभिमतों में भी संशोधन की आवश्यकता है। विमल पोखरियाल का यह कथन कि पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति सन् 1698 में हुई और तत्पश्चात उसके पौत्र फतेहशाह का शासनकाल सन् 1699 में आरम्भ हुआ, मान्य नहीं हो सकता।[50] औरंगज़ेब द्वारा फतेहशाह के नाम जारी सन् 1665 के फरमान एवं अख़बारात–ए–दरबार–ए–मुअल्ला में दर्ज 16 मार्च सन् 1667 को फतेहशाह द्वारा सम्राट औरंगज़ेब को प्रेषित उपहारों के विवरण[51] से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीपतिशाह के उत्तराधिकारी फतेहशाह (मुग़ल दस्तावेज़ों के अनुसार फतेह सिंह) का प्रभुत्वकाल सन् 1665 में आरम्भ हो चुका था।

रतूड़ी ने पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति सन् 1676 में तथा भक्त दर्शन ने सन् 1667 में मानी है। औरंगज़ेब के उक्त संदर्भित फरमान (सन् 1665) एवं अख़बारात (सन् 1667)में गढ़वाल के राजा के रूप में अंकित फतेह सिंह(शाह) के नाम के आधार पर रतूड़ी एवं भक्त दर्शन द्वारा पृथ्वीपतिशाह के शासनकाल की समाप्ति सन् 1667/1676 में होना भी अमान्य है।

डबराल ने उत्तराखण्ड का इतिहास भाग 4 में लिखा है कि "सन्1660 में (सुलेमान शिकोह प्रकरण से क्रोधित होकर) पृथ्वीपतिशाह के पुत्र मेदिनीशाह से अपने पिता से सत्ता छीन ली थी। इसलिए पृथ्वीपतिशाह का वास्तविक शासनकाल सन् 1640–1660 रहा"[52], वह आगे लिखते है कि यद्यपि शासन भार उसके पुत्र ने छीन लिया था, फिर भी प्रजा उसी (पृथ्वीपतिशाह)को राजा मानती रही।[53] डबराल आश्वस्त करते है कि सन् 1665 में औरंगज़ेब ने कुमाऊँ के राजा के विरुद्ध जो सैनिक अभियान किया,उसमें मेदिनीशाह ने सक्रिय भूमिका निभाई। सन् 1664 के आसपास पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु हो गई।[54]

डबराल ने अपने ग्रन्थ के भाग 4,पृ0सं0–274 पर अंकित उक्त विवरण में माना है कि (प)पृथ्वीपतिशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1660 में समाप्त हो गया (पप) मेदिनीशाह ने सत्ता हथिया ली एवं सन् 1665 में औरंगज़ेब के उकसाने पर पड़ोसी राज्य कुमाऊँ पर आक्रमण किया, (पपप) पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु सन् 1664 में हो गई। इसी ग्रन्थ के पृ0सं0–316 पर वह लिखते है कि ".....सन् 1664 में पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु होने पर मेदिनीशाह का राज्यभिषेक (सिंहासनारोहण) हुआ.....।"इसलिए मेदिनीशाह का शासनकाल सन् 1660 से 1684 तक मान सकते है।[55]

समसामयिक दस्तावेजो एवं समकालीन फारसी वृत्तांतकारों के विवरणों के आधार पर डबराल द्वारा प्रस्थापित उक्त निष्कर्षो से सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि :–

(1) पृथ्वीपतिशाह का प्रभत्वकाल सन् 1660 में समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि मेदिनीशाह द्वारा अपने पिता को सत्ताच्युत किये जाने का कोई प्रबल साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मुग़ल दरबार के समकालीन वृत्तांतकार साकी मुस्तैद खाँ के अनुसार मिर्जा राजा जयसिंह की परामर्श पर पृथ्वीपति सिंह (शाह) शरणागत सुलेमान शिकोह को बन्दी बना कर औरंगज़ेब को सौंपने के लिए तैयार हो गया था।[56] अतः यह धारणा तर्क संगत नहीं हैं कि सुलेमान शिकोह के प्रत्यार्पण को लकर पृथ्वीपतिशाह और उसके पुत्र मेदिनीशाह के बीच विवाद हो जाने के कारण मेदिनीशाह ने सत्ता पर अधिकार करके अपने पिता को सत्ताच्युत कर दिया था, है।

(2) खाफी खाँ, जो कि निकट समकालीन लेखक है, लिखता है कि गढ़वाल के राजा द्वारा शरणागत सुलेमान शिकोह का बन्दी बना कर मुग़ल दरबार में भेजे जाने पर (11 जमादि–उल–अव्वल,1070 हिजरी अर्थात 24 जनवरी, सन् 1660) औरंगज़ेब ने पृथ्वीपति सिंह (शाह) को एक खिलअत, एक पौंची, एक अरबेरी एवं एक हाथी दे कर पुरस्कृत किया।[57] खाफी खाँ के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि (i) सन् 1660 में पृथ्वीपतिशाह गढ़वाल के राजा के रूप में सत्तासीन था, (ii) सुलेमान शिकोह को सौंपे जाने में पृथ्वीपतिशाह की सहमति भी थी।

(3) खाफी खाँ इस प्रकरण का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखता है कि पृथ्वीपति सिंह के पुत्र मेदिनी सिंह (शाह)को औरंगजब ने 2000 ज़ात एवं 1000 सवार का मनसब प्रदान करके अपने दरबार (दिल्ली) में ही रोक लिया था।[58] (आगे के विवरणों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि दिल्ली में ही सन् 1662 में मेदिनी सिंह की मृत्यु हो गयी थी)। अतः यह धारणा तर्कसंगत नहीं है कि मेदिनी सिंह ने सन् 1660 में अपने पिता को सत्ताच्युत करके गढ़वाल की सत्ता हथिया ली थी।

© SHARAD

(4) डबराल का यह अभिमत भी औचित्यपूर्ण नहीं है कि श्रीनगर (गढ़वाल) से सुलेमान शिकोह को बन्दी बना कर दिल्ली के लिये प्रस्थान करते समय मेदिनीशाह ने सत्ता अपने पुत्र फतेहशाह को सौंप दी थी [59] तथा (दिल्ली से वापस आकर) सन् 1664 में उसने अपने पिता पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु हो जाने पर अपना राज्याभिषेक मनाया और सन् 1664 से 1684 तक राजा के रूप में गढवाल पर शासन किया।[60] डबराल के उक्त दोनों कथनों में संशोधन की आवश्यकता है,क्योंकि औरंगज़ेब ने 16 जमादि–उल–अव्वल,1073 हिजरी अर्थात सन् 1662 को गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति सिंह (शाह) के नाम एक बयाज़ी फरमान [61] जारी करते हुए उसे सूचना दी थी कि उसके पुत्र मेदिनी सिंह की दिल्ली में मृत्यु हो गयी है। अतः स्पष्ट है कि (प) न तो मेदिनीशाह का राज्याभिषेक हुआ और (पप) न ही उसने गढ़वाल के राजा के रूप में एक दिन भी शासन किया। वास्तव में उसकी मृत्यु तो उसके पिता के जीवनकाल में ही हो गयी थी। अतः जो विद्वान सन् 1662 में मृत मेदिनी सिंह (शाह) द्वारा सन् 1684 अथवा 1698 तक शासन करने के बात कहते हैं,वह स्थानीय इतिहास में एक गम्भीर त्रुटि एवं भ्रांति उत्पन्न करते है।पृथ्वीपतिशाह के उत्तराधिकारी फतेह सिंह (शाह) के शासनकाल के निर्धारण में भी स्थानीय इतिहास ग्रन्थों मे अनेक ऐसी अवधारणायें विद्यमान हैं, जो तर्कसंगत नहीं है और जिनका पुनरावलोकन आवश्यक है।

विमल पोखरियाल अपनी पुस्तक गढ़वाल दर्शन मे लिखते हैं कि गढ़वाल के राजा फतेहशाह ने सन् 1699 से 1749 तक शासन किया।[62] कृष्ण कुमार ने भी फतेहशाह का शासनकाल सन् 1699–1749 निर्धारित किया है।[63] रतूड़ी का मत भी यही है कि फतेहशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1699–1749 था।[64]

यद्यपि डबराल ने अपने ग्रन्थ (उत्तराखण्ड का इतिहास) के भाग 4 में की गई त्रुटि को स्वीकार करते हुए मेदिनीशाह द्वारा सन् 1664–1684 तक शासन करने की बात को (सन् 1987 में पुनः प्रकाशित) अपने ग्रन्थ के भाग 12 में नकार दिया है,[65] परन्तु वह भाग 4 में स्थापित अपने इस निष्कर्ष से पलट जाते है कि पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु सन् 1664 में हो गयी थी।[66] अपने पुनः प्रकाशित ग्रन्थ (भाग 12) में वह यह अभिमत प्रस्थापित करते है कि पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु सन् 1668 में हुई थी।[67]

डबराल द्वारा प्रस्थापित इस संशोधित अभिमत में भी संशोधन की आवश्यकता है ,क्योंकि औरंगज़ेब द्वारा 27 जमादि–उस–सानी,1075 हिजरी अर्थात सन्1665 को पृथ्वीपति सिंह (शाह) के उत्तराधिकारी फतेह सिंह (शाह) के नाम फरमान जारी करके उसे उसके पिता की मृत्यु पर सांत्वना दी गई थी।[68] इस फरमान द्वारा औरंगज़ेब ने फतेह सिंह (शाह) को पृथ्वीपति सिंह (शाह)के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए राजा की उपाधि एवं ख़िलअत भी प्रदान की थी। साथ ही उसे मुग़ल सम्राट के प्रति विश्वसनीय बने रहने और कुमाऊँ के राजा पर आक्रमण करने की ताकीद भी की थी।[69] उक्त फरमान के अतिरिक्त 16 मार्च, सन् 1667 को मुग़ल दरबार की सूचनाओं के संग्रह(अख़बारात) में भी गढ़वाल के राजा का नाम फतेह सिंह अंकित है।[70]

औरंगज़ेब के उक्त फरमान से स्पष्ट हो जाता है कि सन् 1664/1665 में पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु हो गयी थी और फतेहशाह का प्रभुत्वकाल आरम्भ चुका था। अतः उन विद्वानों, जिन्होंने फतेहसिंह का शासनकाल सन् 1699 में आरम्भ होना माना है,उनके मतों में संशोधन की आवश्यकता है।

सन् 1716 के पश्चात फतेहशाह के किसी ताम्रपत्र का न मिलना और संवत् 1773 (सन् 1716/1717) में गढ़वाल के राजा प्रदीपशाह के ताम्रपत्र[71] के आधार पर कहा जा सकता है कि फतेहशाह का प्रभुत्वकाल सन् 1716 अथवा सन् 1717 में समाप्त हो गया था, न कि सन् 1749 में जैसी धारणा रतूड़ी,पोखरियाल एवं कृष्ण कुमार ने व्यक्त की है।

II
कुमाऊँ

16वीं–17वीं शताब्दी में कुमाऊँ पर चन्दवंशीय राजाओं का प्रभुत्व था। कुमाऊँ में चन्दवंश की स्थापना के विषय में बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि सन् 700ई0 में सोमचन्द ने इलाहबाद(उ0प्र0)के निकट झूसी अथवा प्रतिष्ठानपुर से आकर कुमाऊँ में अपनी सत्ता स्थापित कर ली।[72] सोमचन्द चन्देल राजपूत था। उसके पूर्वज इलाहबाद के निकट झूसी/प्रतिष्ठानपुर में रहते थे। यह क्षेत्र राजा जयचन्द के अधीन था।[73] कालान्तर में मौहम्मद गौरी द्वारा पराजित हो जाने पर चन्देल राजपूत इधर–उधर बिखर गये। सम्भव है, इन्ही में से कोई (सोमचन्द) कुमाऊँ आकर शासन करने लगा हो।[74]

पांडे के उक्त कथन में संशोधन की आवश्यकता है,क्योंकि एक ओर वह आश्वस्त करना चाहते है कि ".....सोमचन्द सन् 700 ई0 में कुमाऊँ में चम्पावत में गद्दीनशीन हुए। चम्पावत में राजा सोमचन्द ने एक किला बनवाया, जो राजबुंगा कहलाता था....."।[75] दूसरी ओर पांडे यह मानते है कि माहम्मद गौरी द्वारा पराजित होने पर जयचन्द के परिवार (वंश) से संबन्धित सोमचन्द ने कुमाऊँ आकर कुमाऊँ में चन्दवंश की स्थापना की। पांडे के दोनों कथन परस्पर विरोधाभासी है,क्योंकि यह सर्वविदित

है कि मौहम्मद गौरी एवं जयचन्द के बीच वह युद्ध जिसमें जयचन्द की पराजय हुई थी, बारहवीं शताब्दी में हुआ था,न कि आठवीं शताब्दी में, जिस समय में पांडे कुमाऊँ में सोमचन्द द्वारा (सन् 700–721) चन्दवंश की स्थापना किया जाना मानते है।[76]

पांडे के इस कथन में भी संशोधन की आवश्यकता है कि कुमाऊँ के राजा मानिकचन्द (सन् 1533–1542) ने शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लामशाह के एक विद्रोही अमीर ख़वास ख़ाँ को सन् 1541 में कुमाऊँ में शरण प्रदान की थी।[77] पांडे ने ख़वास ख़ाँ का कुमाऊँ में शरण लिया जाना सन् 1541 में बताया है, जबकि समकालीन फारसी वृत्तांतकारों के अनुसार ख़वास ख़ाँ ने कुमाऊँ में सन् 1545–1546 में शरण ली थी। इस प्रकरण का विस्तृत उल्लेख तारीख़–ए–दाउदी के लेखक अब्दुल्ला ने किया है,जो समकालीन लेखक था।[78] ख़वास ख़ाँ द्वारा कुमाऊँ में शरण लेने के समय (सन्1545–1546) कुमाऊँ का राजा गाणिकचन्द नहीं,बल्कि कलि कल्याणचंद (सन् 1542–1551) था।[79]

सत्रहवीं–अट्ठारहवीं शताब्दी के दौरान कुमाऊँ के राजाओं की शासनावधियों एवं उनके कालानुक्रम के निर्धारण के विषय में कतिपय आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं के अभिमतों में भी संशोधनों की आवश्यकता है। आभा सिंह ने अपने आलेख में कुमाऊँ के राजा उद्योतचन्द का शासनकाल सन् 1678–1698 माना है,परन्तु उसी विवरण की अगली पंक्ति में वह सन् 1700 में उद्योतचन्द को औरंगज़ेब द्वारा ख़िलअत प्रदान किया जाना बताती है तथा उद्योतचन्द की मृत्यु सन् 1701 में हुई बताती है।[80] जबकि कुमाऊँ के स्थानीय इतिहास से ज्ञात होता है कि सन् 1701 में कुमाऊँ का राजा ज्ञानचन्द था।[81] अख़बारात से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सन् 1701 में उद्योतचन्द की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी ज्ञानचन्द को कुमाऊँ की सत्ता प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर ज्ञानचन्द द्वारा मुग़ल सम्राट औरगज़ेब को उपहार (नज़राना) प्रेषित किये जाने तथा [82] औरगज़ेब द्वारा उसे एक बहुमूल्य ख़िलअत प्रेषित किये जाने आदि किये जाने आदि की सूचनायें अखबारत में दर्ज है।[83]

ज़ाकिर हुसैन ने अपने आलेख 'मुग़ल रिलेशन्स विद द हिमालयन स्टेट्स ऑफ यू0पी0' में कुमाऊँ के राजा बाजबहादुरचंद को मुग़ल सम्राट मौहम्मदशाह का समकालीन माना है।[84] कुमाऊँ के स्थानीय इतिहास से ज्ञात होता है कि उस समय कुमाऊँ का राजा कल्याणचन्द पंचम (सन् 1729–1747) था। उसके पश्चात उसके पुत्र राजा दीपचंद (सन् 1748–1777) ने कुमाऊँ पर शासन किया था।[85] ज़ाकिर हुसैन के इस अभिमत में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि समस्त समकालीन ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि बाजबहादुरचंद (सन् 1638–1678) तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ तथा औरंगज़ेब का समकालीन था।

सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ :

1. रतूड़ी हरिकृष्ण,गढ़वाल का इतिहास,द्वितीय संस्करण, पृ0 183,टिहरी गढ़वाल,1980
2. सिंह,आभा, मुग़ल एम्पायर एण्ड यू0पी0 हिमालयाज़,यू0पी0 हिस्टौरिकल रिव्यू,न्यू सिरीज़,अंक–1,पृ054,गोरखपुर, 2004.
3. डबराल,शिवप्रसाद, उत्तराखण्ड का इतिहास, भाग 4,पृ0 252,दुगड्डा, गढवाल,1971.
   खाँ, शाहनवाज़ एवं हई, अब्दुल, मआसिर –उल –उमरा,सम्पादन, बेवरिज एवं प्रसाद,बेनी,भाग 2 खण्ड 1,पृ0 366, पटना,1979.
4. सिंह, आभा,वही, पृ0 54.
5. ताम्रपत्रों के विवरण के लिए देखिए, डबराल शिवप्रसाद, वही,भाग 4, पृ0 233
6. देखिए, रामनाथ कृत इंडिया ऐज़ सीन बाई विलियम फिंच, पृ0 95, जयपुर, 1990.
7. तुजुक–ए–जहाँगीर,बेवरिज एवं रौजर्स,भाग 2,पृ0 20, रि–प्रिन्ट,दिल्ली,1989.
8. कुमाऊँ के राजा लक्ष्मीचंद के लिए देखिए, पांडे बद्रीदत्त कृत कुमाऊँ का इतिहास, पृ0271 ,अल्मोड़ा, 1937.
9. कुमार, कृष्ण, गढ़वाल के प्राचीन अभिलेख एवं उनका ऐतिहासिक महत्व, पृ038, कनखल हरिद्वार (प्रकाशन वर्ष अंकित नहीं है)
10. रतूड़ी, हरिकृष्ण , वही, पृ0 183,.
11. सिंह, आभा, वही, आलेख, पृ0 54.
12. देवी प्रसाद मुन्शी, शाहजहाँनामा,हिन्दी संस्करण, सिंह, रघुवीर एवं राणावत, मनोहर सिंह, पृ047,दिल्ली,1975.
13. ख़ाँ शाहनवाज़ एवं हई,अब्दुल,वही,खंड 1,भाग 2, पृ0 356–66.
14. डबराल,शिवप्रसाद,वही,भाग 4,पृ0277.डबराल ने त्रुटिवश इस प्रकरण को सन् 1640 में पृथ्वीपतिशाह के राजतिलक से जोड़ दिया है।

© SHARAD

15. रतूड़ी, हरिकृष्ण,वही,द्वितीय संस्करण, पृ0 182 एवं डबराल वही, भागा 4,पृ0 250.
16. डबराल,शिवप्रसाद,वही,भाग 4,पृ0 239–40.
17. सिंह,शूरवीर,गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज़,पृ0 55. शूरवीर सिंह ने लिखा है कि किसी दुष्ट ने अभिलेख को पत्थरों से रगड़ कर बहुत बिगाड़ दिया है,देखें,वही, पृ0 55, टिहरी गढ़वाल,1985.
18. एटकिन्सन, ई0टी0,द हिमालयन गजेटियर,भाग 2, खण्ड 1, पृ0 526, सिंह, शूरवीर द्वारा उद्धत, देखें, वही, पृ0 55.
19. वेजेल्स,अर्ली जेसुएट ट्रैवलर्स इन सैन्ट्रल एशिया,पृ096, डबराल द्वारा उद्धृत.
20. डबराल, शिवप्रसाद,वही,भाग 4,पृ0 253–55.
21. डबराल,शिवप्रसाद, वही, भाग 4,पृ0 255–65.
22. मौलाराम,गढ़वराजवंशकाव्य,पर्ण 11ब, डबराल द्वारा उद्धृत,वही,भाग 4,पृ0 260–61.
23. एटकिन्सन,ई0टी0द, हिमालयन गजेटियर, भाग 2,पृ0 526–27 डबराल द्वारा उद्धृत,वही,भाग 4,पृ0 266.
24. मौलाराम,वही,पर्ण 9ब,डबराल द्वारा उद्धृत,वही,भाग 4,पृ0 249.
25. खाँ,शाहनवाज़ एवं हई, अब्दुल, वही,खण्ड 1, भाग 2, पृ0 365–66.
26. वेजेल्स,अर्ली जेसुएट ट्रैवलर्स,पृ096,डबराल, वही,पृ0 250.
27. वही,पृ0 96,डबराल, वही, पृ0 250.
28. सिंह,शूरवीर, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख, एवं दस्तावेज़ पृ0 5–6.
29. नेगी,सन्तनसिंह,द्वारा उद्धृत,देखें,मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृ0 167, 228, संदर्भ सं0 357.
30. वही,पृ0 167,228, संदर्भ सं0 358.
31. रतूड़ी,हरिकृष्ण,वही, द्वि0 सं0 पृ0 185.
32. राहुल,सांकृत्यायन,हिमालय परिचय (1) गढ़वाल, पृ0 382, बनारस, 1953.
33. कुमार,कृष्ण,वही, पृ0 39.
34. सिंह,आभा,वही,आलेख, पृ0 55.
35. डबराल, शिवप्रसाद, वही, भाग 4,पृ0 273.
36. सिंह,शूरवीर,वही,पृ0 5–6.
37. नेगी,सन्तनसिंह,वही,पृ0 167–68.
38. नेगी,सन्तनसिंह द्वारा उद्धृत,वही,पृ0 167.
39. नेगी,सन्तनसिंह द्वारा उद्धृत,वही,पृ0 167.
40. रतूड़ी, हरिकृष्ण,वही,द्वि0सं0 पृ0 185.
41. कुमार,कृष्ण,वही,पृ0 39.
42. सिंह,आभा,वही,पृ0 55.
43. सिंह, आभा, वही, पृ0 56.
44. पोखरियाल, विमल,गढ़वाल दर्शन,पृ0 19,भटिण्डा, 1982.
45. सांकृत्यायन,राहुल, वही, पृ0 143.
46. भक्तादर्शन,गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, पृ0 32 ,द्वि0 सं0, देहरादून, 1980.
47. डबराल,शिवप्रसाद, उत्तराखण्ड का इतिहास, भाग 12, पृ0 80,86, दुगड्डा, 1987.
48. फरमान के लिए देखिए,श्रीवास्तव,के0पी0 कृत मुग़ल फरमान, भाग 1,पृ0 60, डॉक्यूमैन्ट सं0 xxxvi-
49. पोखरियाल,विमल गढ़वाल दर्शन, पृ0 19.
50. सिंह,आभा द्वारा उद्धृत, वही आलेख,पृ0 58,संदर्भ सं0 85.
52–55. डबराल,शिवप्रसाद,वही,भाग 4, 274.
56.मआसिर–ए–आलमगीरी, अंग्रेज़ी अनुवाद, सरकार, जे0 एन0, पृ0 19–20, रि– प्रिन्ट, दिल्ली, 1986. केवलम तारीख–ए–शाहशुजाई का लेखक

मीरमासूम ही सुलेमान शिकोह के प्रकरण पर पृथ्वीपतिशाह एवं उसके पुत्र के बीच मतभेद का उल्लेख करता है, परन्तु जैसा कि के0 आर0

कानूनगो ने भी स्वीकार किया है कि इस विषय में मासूम के विवरण को अधिकृत नहीं माना जा सकता। उसने अपना ग्रन्थ दिल्ली से सैकड़ों

मील दूर माल्दा (बंगाल) में लिखा था, जबकि साकी मुस्तैद खाँ दिल्ली में था और मुग़ल दरबार के निकट सम्पर्क में था। अतः मासूम की अपेक्षा

साकी मुस्तैद ख़ाँ के विवरण अधिक विश्वसनीय है, देखिए, कानूनगो, के0आर0 कृत दाराशिकोह, हिन्दी संस्करण, पृ0 156–57 एवं टिप्पणी –1, आगरा, 1953 एवं सिंह, आभा, वही, आलेख, पृ0 57.

57 ख़ाँ,ख़ाफी,मुन्तख़ब–उल–लुबाब,भाग2, पृ0 123,अनीस जहाँ सैयद,औरंगजेब इन मुन्तख़ब–उल–लुबाब, पृ0 172, बम्बई, 1977.
58.वही, पृ0 123 एवं वही, पृ0 172.
59.–60.डबराल, शिबप्रसाद, वही, भाग 4, पृ0 316.
61.फरमान के लिए देखिए, श्रीवास्तव, के0पी0,वही,भाग 1, पृ0 60 डॉक्युमैंट सं0xxxvi.
62.पोखरियाल,विमल,वही,पृ019.
63.कुमार, कृष्ण,वही,पृ010–41.
64.रतूड़ी,हरिकृष्ण,वही,पृ0191.
65.डबराल, शिवप्रसाद,वही,भाग 12, पृ0 96.
66.डबराल,शिवप्रसाद,वही,भाग 4 पृ0 274 एवं 274 एवं भाग 12 पृ0 96.
67.डबराल, शिवप्रसाद,वही,भाग 12, पृ0 96.
68.फरमान के लिए देखिए, श्रीवास्तव,के0पी0 वही,पृ0 61, डॉक्युमैंट सं0 xxxvii.
69.वही, उपर्युक्त,
70.अखबारात, 20 रमज़ान, औरंगज़ेब के शासनकाल का दसवाँ जुलुसी वर्ष/16 मार्च ,सन् 1667,सिंह,आभा द्वारा उद्धृत,वही,आलेख, पृ0 58,63 संदर्भ सं0 –85 .
71.डबराल, शिवप्रसाद,वही,भाग 4, पृ0 345 एवं सिंह,शूरवीर, वही, पृ0 26–27,
72.–77. पांडे,वही, पृ0 231,233,235,255.
78.तारीख़–ए–दाउदी,अब्दुल्ला,ईलयट–डाउसन,भाग 4, पृ0 484.
79.एटकिन्सन,ई0टी0,वही,भाग 2, खण्ड 2,पृ0 537–59, डबराल ने ख़्वास ख़ाँ को कुमाऊँ के राजा भीश्मचंद (सन्1511–59) का शरणागत बताया है, देखें,उत्तराखण्ड का इतिहास,भाग10 (कुमाऊँ का इतिहास), पृ0 94.
80. सिंह,आभा,वही,आलेख,पृ0 54.
81.पांडे,वही,पृ0 304 एवं डबराल,वही,भाग 10, पृ0 145.
82.–83. अखबारात, 20 शाबन, 37 जुलुसी वर्ष (6अगस्त,1693), 8 जिकाद,45वाँ जुलुसी वर्ष (16 अप्रैल,1701) एवं 26 मौहर्रम, 47 वाँ जुलुसी वर्ष (11 जून,1703).
84.देखिए, हुसैन ज़ाकिर का आलेख,मुग़ल रिलेशन्स विद द हिमालयन स्टेट्स ऑफ यू0पी0,प्रोसीडिंग्स, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस,पृ0183,185,डॉक्युमैन्ट सं0–6, मैसूर, 1993.
85. रोहेला इतिहास से भी इस कथन की पुष्टि होती है कि पानीपत के तृतीय युद्ध (सन् 1761) के समय कुमाऊँ का राजा दीप चन्द था, देखें, नूरद्दीन, सैयद कृत सरगुज़िश्त–ए–नवाब नजीबउद्दौला, रशीदउद्दीन, एस0 ए0 द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 71,एन एकाउंट ऑफ नजीबउद्दौला, अलीगढ़,1952.

© SHARAD